'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण हेतु संसदीय Outreach एंड Familiarization कार्यक्रम' में संबोधन

1. लद्दाख यूनियन Territory की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण हेतु आयोजित इस संसदीय Outreach कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

2. लद्दाख विश्व के सबसे आकर्षक स्थानों में एक है। ऊंचे पहाड़, मनोरम स्थल, स्वच्छ नदियां, Glacier, सुंदर झीलें, बौद्ध विहार तथा उनका आध्यात्मिक वातावरण और इन सबके बीच यहाँ के शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण निवासी, यह सब मिलकर लद्दाख को स्वर्गतुल्य बना देते हैं।

3. यहाँ आकार मैं एक असीम मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में यह एक दिव्यभूमि है।

4. लगभग 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बसा Cold Desert लद्दाख प्रकृति की एक अनुपम देन है। असंख्य भौगोलिक तथा अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए जिस प्रकार लद्दाख एक आत्मनिर्भर समाज के रूप में उभरा है, वह सराहना योग्य है।

5. देश की उत्तरी सीमा पर स्थित लद्दाख ने भारत की रक्षा के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया है। आपकी वीरता और अद्भुत साहस ने सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपका विनम्रतापूर्वक नमन करता हूँ।

6. भारतीय संस्कृति में लद्दाख तथा यहाँ प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिंधु नदी ने हमारे देश को नाम ही नहीं दिया है, बल्कि इसी के तट पर हमारे मनीषियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी हैं तथा अपने अध्यात्म तथा दर्शन को परिपक्व किया है।

7. ऐसी महान पुण्यभूमि पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान का विषय है।

8. लद्दाख की पारंपरिक संस्थाओं में प्राचीन लोकतांत्रिक विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

9. यहाँ के गांवों में पारंपरिक रूप से स्वशासन की व्यवस्था रही है जिसके अंतर्गत *गोब* (ग्राम प्रमुख) *चुरप (कार्यकारी अधिकारी)* मुख्य अधिकारी थे, जो जल वितरण का प्रबंध करते थे और बेस कृषि और अन्य कार्यों में अंतर पारिवारिक सहयोग का कार्य देखते थे।

10. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हलका पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषद के प्रतिनिधि भौतिक रूप से भी जुड़े हैं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि Virtual माध्यम से भी जुड़े हैं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ तथा स्वागत करता हूँ।

11. मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा यह सदैव प्रयास रहा है कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ नियमित रूप से चर्चा की जाए, संवाद हो ताकि हम परस्पर अपने विचारों तथा अनुभवों को साझा कर सकें। इससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सकेंगी तथा लोकतान्त्रिक संस्थाएं और अधिक सशक्त होंगी।

12. इसी क्रम में मेरा इस वर्ष जनवरी महीने में देहरादून में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद हुआ था। इसके बाद फरवरी में मेघालय के शिलांग में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोकतान्त्रिक संस्थाओं के साथ भी एक Outreach कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

13. मेरे विचार में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बीच नियमित संवाद से हम एक दूसरे की संसदीय best practices के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

14. सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में किए जा रहे नवाचारों के विषय में जान सकते हैं तथा उनके आधार पर एक Model Develop कर सकते हैं। इस प्रकार के Model से सभी लोकतान्त्रिक संस्थाएं अपने कार्यकरण में सुधार कर सकती हैं।

15. नियमित चर्चा एवं रचनात्मक संवाद के माध्यम से लोकतंत्र में जनता की आस्था और विश्वास को और सशक्त करने में सहायता मिलती है।

16. इसके साथ-साथ लोकतान्त्रिक संस्थाओं को और अधिक सशक्त, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

17. साथियों, अगले वर्ष 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हमारी सरकार ने देश की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को व्यापक रूप से मनाने के लिए 75 सप्ताह पहले यानि 12 मार्च 2021 से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है।

18. स्वतंत्रता के 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है तथा जनता की लोकतंत्र तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं में आस्था बढ़ी है। परंतु अभी इसे और सशक्त करने की आवश्यकता है।

19. इस उद्देश्य की प्राप्ति में स्थानीय लोकतान्त्रिक संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें उनकी कठिनाईयों तथा समस्याओं के साथ-साथ समाधानों का भी ज्ञान होता है।

20. यदि वे प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएं तो देश में लोकतंत्र को सशक्त करने में सहायता मिलेगी।

21. आप सभी इस एक दिवसीय कार्यक्रम में लद्दाख क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के विषय पर चर्चा करेंगे तथा अपने अनुभवों का व्यापक आदान प्रदान करेंगे। यही सामूहिकता तथा परस्पर चर्चा संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। हम मिल-बैठकर सामूहिक चर्चा के माध्यम से विषयों पर संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करते हैं और अंततः निर्णयों पर पहुचते हैं।

22. जब संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उसके पीछे व्यापक उद्देश्य यही था कि शासन में जनता की भागीदारी हो, वे स्वयं विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय ले सकें तथा अपने जीवन को बेहतर करने के प्रयास कर सकें।

23. साथियो, वैसे तो लद्दाखी सभ्यता एवं संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है परंतु इस क्षेत्र का वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप अगस्त, 2019 में उभर कर आया जब इसे एक अलग Union Territory का दर्जा दिया गया ताकि इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास के अधिकतम अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

24. वर्ष 2019 लद्दाखी भाइयों के लिए एक टर्निंग प्वाइंट सिद्ध हुआ है। निश्चय ही, यह उनके जीवन में विशद परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा।

25. हम सभी जानते हैं कि लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1995 में लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की गई थी जिसके अंतर्गत लेह तथा कारगिल जिले में स्वायत्त Hill Development Council स्थापित किए गए थे।

26. ये परिषदें ग्राम स्तर पर हलका पंचायतों के सहयोग से नागरिकों से संबंधित स्थानीय महत्व के विषयों, जैसे- स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, शिक्षा, Land Use, Taxation तथा स्थानीय शासन पर सामूहिक चर्चा के बाद निर्णय लेती हैं। इन निर्णयों की समीक्षा ब्लॉक स्तर के पार्षदों द्वारा की जाती है।

27. मित्रों, विधायिका चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों अथवा ग्राम स्तर की, उसका मुख्य कार्य कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आप भी मिनी विधायिका के अंग हैं, इसलिए आपके द्वारा की गई चर्चाओं एवं संवाद का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना होना चाहिए।

28. आप जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपका हर कार्य जनता को केन्द्र में रखकर होना चाहिए। इसके लिए आपको बेहतर system और Procedure develop करना होगा।

29. स्थानीय विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। उनके सदस्यों को अपने क्षेत्र के strength (स्ट्रेंथ) की पूरी जानकारी है जिसका उपयोग वहां के आर्थिक और सामाजिक विकास में किया जा सकता है।

30. लद्दाख भौगोलिक तथा सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का विकास क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकता दोनों ही है।

31. स्थानीय स्वशासन, लोकतन्त्र और विकास, दोनों का प्रतीक है। यह लोकतन्त्र के decentralization के लिए एक framework देता है।

32. यह सबसे निचले पर लोकतन्त्र को मजबूत बनाता है जिसके माध्यम से नागरिकों को अपने क्षेत्र के Local Self Government में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता है।

33. आपके क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आपके विशिष्ट हस्तशिल्प, वास्तुकला एवं अन्य उत्पाद इस क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता एवं विकास का आधार बन सकते हैं। इनसे विकास का एक नया मॉडल तैयार हो सकता है जिसमे जनता द्वारा चुनी हुई Local Bodies सहायता कर सकती हैं।

34. साथियों, सरकार Local Government के कार्यकरण में आधुनिक संचार तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दे रही है, उनमें आज की आवश्यकता के अनुरूप कई नवाचार किये जा रहे हैं। सूचना और संचार तकनीक (ICT) के माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग भी किया जा रहा है।

35. ई-पंचायत तथा 'ई-ग्राम स्वराज' जैसे ऐप्लीकेशन आरंभ किए गए हैं जिससे Local Self Government के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

36. मेरा सुझाव है कि आप अपने कार्यों में ICT के साधनों तथा डिजिटल नवाचारों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के लिए Accessible बनाया जा सके।

37. साथियों, हमारे देश का हर क्षेत्र अपने अंदर में एक विविधता और विशिष्टता समेटे हुए है। हर क्षेत्र की अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसके बारे में वहाँ के लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके लिए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर समावेशी विकास की अवधारणा के साथ विकास कार्यक्रमों के संबंध में सहयोग और सामूहिकता की भावना से कार्य करना होगा तथा जनता की समस्याओं का

समाधान जनता को केन्द्र में रखकर निकालें। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि विकास का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।

39. हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायत संस्थाओं के स्वरूप में भिन्नता है परंतु उनका उद्देश्य जनता की सेवा और उनका कल्याण ही है।

40. लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए Regional Aspiration के साथ-साथ National Integration भी आवश्यक है। हमारे हर प्रयास के केन्द्र में राष्ट्रहित होना चाहिए, देश की प्रत्येक जनता का हित होना चाहिए।

41. पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य लोकतांत्रिक चर्चा एवं संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान निकालना है। इसके लिए आपसी विचार-विमर्श, संवाद का एक सिस्टम डेवलप करने, एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेज को आपस में साझा किए जाने की जरूरत है।

42. हमारे देश में कई गाँव हैं, ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट भौगोलिक तथा सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श सामाजिक, आर्थिक मॉडल तैयार किये हैं और best practices बनाये हैं।

43. हमारी कोशिश होनी चाहिए कि देश की सभी पंचायतें और Local Bodies एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान, अनुभवों एवं best practices को साझा करने के लिए एक देशव्यापी system बनाएं।

44. बहुत से Local Bodies हैं जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, Women Empowerment, Organic Farming और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, एक नया मॉडल डेवलप किया है।

45. इन Models को भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ढाल कर कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी आपसी संवाद और चर्चा की जरूरत है।

46. लोकतंत्र में रचनात्मक चर्चा और संवाद के माध्यम से ही समाधान निकलते हैं। मेरे यहां आने का उद्देश्य इसी चर्चा और संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

47. मुझे विश्वास है कि सकारात्मक भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण, स्थानीय स्तर की संस्थाओं का शामिल होना और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता के साथ लद्दाख में अत्यधिक समृद्धि आएगी।

48. आप सबने अपने गांवों में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए तथा टीकाकरण के महत्व के प्रचार प्रसार हेतु व्यापक सामाजिक जनजागरण अभियान चलाए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूँ।

49. जनप्रतिनिधियों के रूप में "जन सेवा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना" ही हमारा परम कर्तव्य है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने *'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास'* का आह्वान किया है।

50. मैं मानता हूँ कि राष्ट्र का विकास एकजुटता की भावना तथा सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है।

51. हमें अपने-अपने गांवों और क्षेत्रों की प्रगति के लिए संकल्पित होकर तथा प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की भावना ने हमें सदैव अनुप्राणित किया है। राष्ट्र के नवनिर्माण के इस *'अमृत काल'* को संभव बनाना हम सबका सामूहिक दायित्व है।

52. आईए, आज हम एक नवीन, ऊर्जावान तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।

टूक जे शे।